

पर्वी डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -331 / 2024

अनवान : -

राम कुमार पुत्र धनपत जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. हरी सिंह पुत्र धनपत जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़
2. सुधील पुत्र हरी सिंह जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़
3. कृष्णलाल उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी खिनानिया तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काष्ठाकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता

वादी

श्री विकास शर्मा अधिवक्ता

प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 11/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री कुन्दनलाल व वकील प्रतिवादीगण श्री विकास शर्मा
अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की
सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया
जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी स0 1 हरी सिंह के नाम अंकित चक 19 के.एन.
एन के खाता स0 132/46 में प0 न0 282/364 मु0 न0 8 के किला न0 19/4/0.005

सहायक एवं
कलेक्टर
टिब्बी

पश्चिम दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर (पूर्वी दिशा में दक्षिणी पूर्वी कोर्नर को छोड़ते हुए) 22/6/1149 पश्चिम दिशा (पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण हरी सिंह के हिस्सा को छोड़ते हुए) तथा प्रतिवादी स० 2 सुपील के नाम अंकित चक 21 के.एन.एन. के प० न० 281/367 मु० न० 8 के किला न० 19/2/0.113 हैक्टयर दक्षिण दिशा भूमि तथा प्रतिवादी स० 3 कृष्णलाल उर्फ कृष्ण कुमार के नाम चक 21 के.एन.एन. के खाता स० 22/24 के प० न० 281/370 मु० न० 19 के किला न० 23/0.127 हैक्टयर पूर्वी दिशा में इस प्रकार कुल 0.394 हैक्टयर भूमि का वादी राम कुमार को खातेदार काफ़्तकार घोषित किया जाता है व वादी के नाम पूर्व में यहाँ चक 19 के.एन.एन. के प० न० 282/364 मु० न० 8 के किला न० 19/3/0.078 की दिशा को दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम (पूर्वी दिशा में दक्षिणी पूर्वी कोर्नर को छोड़ते हुए) अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी राम कुमार के नाम अंकित चक 19 के.एन.एन. के खाता स० 132/46 में प० न० 282/364 मु० न० 8 के किला न० 9/3/0.077, 12/4/0.077 भूमि इस प्रकार कुल 0.154 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी स० 1 हरी सिंह को खातेदार काफ़्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी राम कुमार के नाम अंकित चक 21 के.एन.एन. के खाता स० 60/63 में प० न० 281/370 मु० न० 19 के किला न० 21/0.1265 हैक्टयर भूमि पश्चिम दिशा का प्रतिवादी स० 2 सुपील को खातेदार काफ़्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी राम कुमार के नाम अंकित चक 21 के.एन.एन. के खाता स० 60/63 में प० न० 281/370 मु० न० 19 के किला न० 21/0.1265 हैक्टयर भूमि पूर्वी दिशा का प्रतिवादी स० 3 कृष्णलाल उर्फ कृष्ण कुमार को खातेदार काफ़्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश दिया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिट्टी आज दिनांक 11/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (श्री सत्यनारायण राय R.A.S.)
 न्यायालय अधिकारी (राजस्व)
 एवं सह सचिव
 टिब्बी